



संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 8/2024 - सी.एम.एस.

दिनांक : 10.04.2024

(आवेदन भरने की अंतिम तारीख 30.04.2024)

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024

(आयोग की वेबसाइट - <https://upsc.gov.in>)

महत्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :

सभी उम्मीदवारों (पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर) से अनुरोध है कि वे सरकार (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के नियमों और इन नियमों से जुड़े परीक्षा के नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

उम्मीदवार को मात्र ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही, आयोग मूल प्रमाण-पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

2. आवेदन कैसे करें :

उम्मीदवार upsonline.nic.in वेबसाइट का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदक के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) प्लेटफॉर्म पर स्वयं का पंजीकरण करना अनिवार्य है और उसके बाद परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ें। ओटीआर का पंजीकरण जीवन में केवल एक बार करना होगा। इसे वर्ष भर में किसी भी समय किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार का पंजीकरण पहले हो रखा है, तो वह परीक्षा के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है।

2.1 ओटीआर विवरण में संशोधन:

यदि उम्मीदवार अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे ओटीआर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के उपरांत ऐसा करने की अनुमति अपने जीवनकाल में केवल एक बार होगी। ओटीआर विवरण में डेटा परिवर्तन की सुविधा, आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए उम्मीदवार के प्रथम अंतिम आवेदन की आवेदन विंडो बंद होने के बाद के अगले दिन से 7 दिनों तक उपलब्ध रहेगी। इस मामले में ओटीआर पंजीकरण के उपरान्त इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार प्रथम बार आवेदन करता है तो ओटीआर विवरण में संशोधन करने की अंतिम तारीख 07.05.2024 होगी।

2.2 आवेदन प्रपत्र में संशोधन (ओटीआर विवरण के अतिरिक्त):

आयोग ने इस परीक्षा की आवेदन विंडो के बंद होने के अगले दिन से, इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के किसी भी भाग(गों) में संशोधन(नों) करने की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। यह विंडो, इसके

खुलने की तारीख से 7 दिनों के लिए अर्थात् 01.05.2024 से 07.05.2024 तक खुली रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि के दौरान अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो वह ओटीआर प्लेटफॉर्म में लॉग-इन करके तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। अन्य शब्दों में, आवेदन प्रपत्र में संशोधन के लिए विंडो के माध्यम से ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

2.3 अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.4 उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा / व्यक्तित्व परीक्षण के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

3. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 30 अप्रैल, 2024 सायं 6.00 बजे तक भरे जा सकते हैं। पत्र उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र परीक्षा की तारीख के पूर्व सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट <https://upsconline.nic.in> पर उपलब्ध होगा जिसे उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय सभी आवेदकों को वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करना अपेक्षित है क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।

4. गलत उत्तरों के लिए दंड :

अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

5. ऑनलाइन प्रश्न - पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)

आयोग ने परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में आयोग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु उम्मीदवारों के लिए सात दिन (एक सप्ताह) की समय - सीमा निर्धारित की है जो परीक्षा की तिथि के अगले दिन से 7 वें दिन सायं 6.00 बजे तक है। ऐसे अभ्यावेदन यूआरएल <http://upsconline/nic/in/miscellaneous/QPRep/> के माध्यम से "ऑनलाइन प्रश्न - पत्र अभ्यावेदन पोर्टल (क्यूपीआरईपी)" द्वारा ही प्रस्तुत किए जाएं। ई - मेल/डाक/दस्ती रूप से अथवा किसी अन्य प्रकार से भेजे गए किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग द्वारा उम्मीदवार के साथ कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। इस विंडो की 7 दिन की अवधि समाप्त होने के उपरांत, किसी भी परिस्थिति में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउंटर :

उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे से 5.00 बजे तक आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।

7. मोबाइल फोन प्रतिबंधित:

(क) किसी भी मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में), पेजर अथवा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्रामेबल उपकरण या स्टोरेज मीडिया जैसे कि पेन ड्राइव, स्मार्ट घड़ियां आदि अथवा कैमरा या ब्लू टूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण या उससे संबंधित सहायक सामग्री (चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में) जिसे परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित है। इन अनुदेशों का किसी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर, भविष्य की परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ मोबाइल फोन/पेजर सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा-स्थल पर न लाएं, क्योंकि परीक्षा-स्थल पर सामान की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा।

8. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ कोई कीमती/मूल्यवान सामान परीक्षा-स्थल पर न लाएं, क्योंकि परीक्षा-स्थल पर सामान की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। आयोग इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय फोटोग्राफ अपलोड करने के संबंध में अनुदेश:-

(क) उम्मीदवार द्वारा अपलोड की गई फोटो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (अर्थात् आवेदन करने की तारीख) के आरंभ होने से **10 दिन से अधिक पुरानी** नहीं होनी चाहिए।

(ख) कृपया सुनिश्चित कर लें कि फोटो पर, **उम्मीदवार का नाम और वह तारीख, जिस तारीख को फोटो खींची गई थी,** का स्पष्ट उल्लेख हो।

(ग) फोटो में उम्मीदवार का चेहरा $\frac{3}{4}$ भाग में होना चाहिए।

(घ) उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण अर्थात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के समय उनकी फोटो उनके रूप से मेल खाती हो। उदाहरण के लिए यदि कोई उम्मीदवार दाढ़ी सहित अपनी फोटो अपलोड करता है तो उसे लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में उसी रूप में उपस्थित होना होगा। चश्मे, मूछों आदि के मामले में भी यहीं स्थिति रहेगी।

10. उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर समय से पूर्व अर्थात् परीक्षा के प्रत्येक सत्र के आरंभ होने से कम से कम 30 मिनट पूर्व पहुंचना होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी विलंब से परीक्षा-स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उम्मीदवार केवल <https://upsconline.nic.in> वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें।

किसी दूसरे माध्यम द्वारा आवेदन करने की अनुमति नहीं है।

“सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।”

फा. सं. 14/1/2024 - प.1(ख) - संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नीचे पैरा 2 में दी गई सेवाओं तथा पदों पर भर्ती के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा दिनांक 10 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित नियमों के अनुसार दिनांक 14 जुलाई, 2024 को सम्मिलित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

परीक्षा केन्द्र : परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला	गंगटोक	पणजी (गोवा)
अहमदाबाद	हैदराबाद	पटना
आइज़ोल	इंफाल	पोर्ट ब्लेयर
प्रयागराज	ईटानगर	रायपुर
बेंगलुरु	जयपुर	रांची
बरेली	जम्मू	संबलपुर
भोपाल	जोरहाट	शिलांग
चंडीगढ़	कोच्चि	शिमला
चेन्नई	कोहिमा	श्रीनगर
कटक	कोलकाता	तिरुवनंतपुरम
देहरादून	लखनऊ	तिरुपति
दिल्ली	मद्रुरै	उदयपुर
धारवाड़	मुम्बई	विशाखापटनम
दिसपुर	नागपुर	

परीक्षा आयोजन के लिए उपरोक्त केन्द्र और तारीखों में आयोग के विवेकानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। आवेदक यह नोट करें कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर केन्द्रों के सिवाय प्रत्येक केन्द्र पर आवंटित उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। केन्द्रों के आबंटन पहले आवेदन करो, पहले आवंटन पाओ पर आधारित होगा तथा यदि किसी विशेष केन्द्र की क्षमता पूरी हो जाती है तब वहां किसी आवेदन को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया जाएगा। जिन आवेदकों को निर्धारित सीमा की वजह से अपनी पसंद का केन्द्र नहीं मिलता है तब उन्हें शेष केन्द्रों में से एक केन्द्र का चयन करना होगा। अतएव आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र आवेदन करें जिससे उन्हें अपनी पसंद का केन्द्र मिले।

ध्यान दें: उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद, स्थिति के अनुसार आयोग के पास अपने विवेकानुसार केन्द्रों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

जिन उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्र बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों के परीक्षा की भी व्यवस्था करेंगे।

2. (क) जिन सेवाओं/पदों पर भर्ती की जानी है तथा भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है।

श्रेणी - I

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी सामान्य ड्यूटी में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड	-	163
---	---	-----

श्रेणी - II

(i) रेलवे में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी	-	450
(ii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	-	14
(iii) दिल्ली नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II ।	-	200

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित सेवाओं/पदों का विवरण नीचे दिया गया है:-

- (i) रेलवे में सहायक डिविजनल चिकित्सा अधिकारी के 18 (अठारह) पद लोकोमोटर दिव्यांगता वाले बेंचमार्क रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जो कार्यात्मक वर्गीकरण एक हाथ प्रभावित (ओए), एक पैर प्रभावित (ओएल) तथा दोनों पैर प्रभावित (बीएल) के अंतर्गत आते हैं।
- (ii) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड पदों की 6 (छह) रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की उपश्रेणियों के लिए आरक्षित हैं अर्थात् (क) ओए, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी - 3 (तीन) और [(ख) एसएलडी + (ग) उपरोक्त (क) & (ख) सहित बहु दिव्यांगता] के कुल - 3 (तीन)
- (iii) दिल्ली नगर निगम में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (ग्रेड II) की 08 (आठ) रिक्तियां प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित सहित लोकोमोटर दिव्यांगता और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए
- (iv) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के लिए शून्य रिक्त है

टिप्पणी - केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के सन्दर्भ में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहचान की गई रिक्तियों के बारे में उम्मीदवार परिशिष्ट III के भाग - ख सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 के नियमों का अवलोकन करें जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं । उपरोक्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा नियत की गई रिक्तियों के संबंध में आरक्षण किया जाएगा।

किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ, उसकी जाति को केन्द्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण का लाभ लेने के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों का पालन करता हो तथा उसके पास इस प्रकार की पात्रता का प्रमाण-पत्र हो। यदि कोई उम्मीदवार सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है कि वह अनारक्षित श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है, तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षण श्रेणी चुन लिए जाने पर अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात् अ.जा. को अ.ज.जा., अ.ज.जा. को अ.जा., अ.पि.व. को अ.जा./ अ.ज.जा. या अ.जा./ अ.ज.जा. को अ.पि.व., अनुसूचित जाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत सामान्य मानक के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से भिन्न आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को उसकी आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन (उनके अनुरोध पर या उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयोग/सरकार द्वारा यथानिर्धारित) अथवा अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (सेवा/ संवर्ग) के लिए दावा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा सामान्य मानदण्डों के आधार पर अर्हता प्राप्त नहीं करने के मामले में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, बेंचमार्क दिव्यांगता के किसी भी उप-श्रेणी वाले उम्मीदवार (PwBD) को बेंचमार्क दिव्यांगता की अन्य उप-श्रेणी में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जबकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से पालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी भी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने की तारीख के समय के बीच थोड़ा बहुत अंतर (अर्थात् 3 महीने से अधिक नहीं) हुआ हो, ऐसे मामलों में, समुदाय को सामान्य से आरक्षित समुदाय में परिवर्तित करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा।

परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के शारीरिक रूप से बेंचमार्क दिव्यांग होने के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसे मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत यथापरिभाषित 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है, ताकि उसे बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति/पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 के लिए आवेदन करते समय, ऐसे लाभों के लिए नियमावली/नोटिस में यथानिर्दिष्ट किए अनुसार, उम्मीदवारों के पास अपने दावे के समर्थन में विहित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र अंतिम तारीख तक मौजूद होने चाहिए।

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 का कोई भी उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ उठाने का पात्र तभी माना जाएगा यदि वह केन्द्र सरकार द्वारा जारी मानदण्डों को पूरा कर रहा हो और उसके पास वित्त वर्ष 2023-2024 की आय के आधार पर अपेक्षित आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र

मौजूद हो तथा यह प्रमाण-पत्र 01.04.2024 को/ के पश्चात् (वित्त वर्ष 2023-24 के समाप्त होने के उपरांत) जारी किया गया है परंतु सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख अर्थात् 30.04.2024 के बाद जारी नहीं हुआ हो ।

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 के लिए आवेदन करने वाले अ.पि.व. श्रेणी के उम्मीदवारों को वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के दौरान की आय के आधार पर अ.पि.व.(नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और यह प्रमाण-पत्र 01.04.2024 को/के पश्चात् (वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति के उपरांत) जारी किया गया हो परंतु सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख अर्थात् 30 अप्रैल, 2024 के बाद जारी नहीं हुआ हो ।

(ख) कोई उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 2 (क) में उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के संबंध में परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है।

उम्मीदवारों को उचित समय पर सेवाओं/पदों के लिए अपना वरीयता क्रम बताना होगा। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिए परीक्षा में प्रवेश पाना चाहता है तो भी उसे एक ही आवेदन प्रपत्र भरने की आवश्यकता है। नीचे पैरा 4 में उल्लिखित शुल्क भी उसे केवल एक ही बार देना होगा। उसे प्रत्येक सेवा/पद जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है, के लिए अलग-अलग शुल्क नहीं भरना होगा।

3. पात्रता की शर्तें :

(I) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार को या तो :-

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(ङ) ऐसा भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केन्या, यूगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया, पूर्वी अफ्रीकी देशों से या जाम्बिया, मलावी, जैरे और इथियोपिया अथवा वियतनाम से आया हो।

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) वर्गों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

परीक्षा में ऐसे उम्मीदवार को भी, जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने पर ही दिया जाएगा।

(II) आयु - सीमा :

(क) इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार ने पहली अगस्त, 2024 को 32 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त, 1992 के पहले का नहीं होना चाहिए। हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा

के सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के पदों के लिए **पहली अगस्त, 2024** को अधिकतम आयु सीमा 35 (पैंतीस वर्ष) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ख) ऊपरी आयु-सीमा में निम्न प्रकार से छूट प्राप्त है :

- (i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।
- (ii) अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक, जो ऐसे उम्मीदवारों पर लागू आरक्षण प्राप्त करने के हकदार हैं।
- (iii) रक्षा सेवा के उन कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक 3 वर्ष तक जो किसी अन्य देश के साथ संघर्ष के अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान दिव्यांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए।
- (iv) जिन भूतपूर्व सैनिकों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 अगस्त, 2024 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो (1) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 2024 से एक वर्ष के अन्दर पूरा होना है) या (2) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक दिव्यांगता या (3) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;
- (v) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा के कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामलों में अधिकतम 5 वर्षों तक जिन्होंने सैनिक सेवा के 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि **पहली अगस्त, 2024** तक पूरी कर ली है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष से आगे बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण-पत्र जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा।
- (vi) (अ) दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि, (ब) बधिर और ऊंचा सुनने वाले, (स) लोकोमोटर दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (द) आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता (ई) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार अ से द के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-दृष्टिहीन सम्मिलित हैं, के मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक ।

टिप्पणी - 1 : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 3 (II)(ख) के किन्हीं अन्य खंडों अर्थात, जो भूतपूर्व सैनिकों, तथा दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों

में से बहु दिव्यांगता आदि श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

टिप्पणी - 2 : प्रत्येक सेवा हेतु कार्यात्मक वर्गीकरण (एफसी) और शारीरिक अपेक्षाओं (पीआर) का ब्यौरा इस नोटिस के परिशिष्ट V में दिया गया है जो दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 और 34 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों (सीसीए) द्वारा निर्दिष्ट तथा निर्धारित किए गए हैं। दिव्यांग व्यक्ति श्रेणी के अंतर्गत केवल उसी/ उन्हीं दिव्यांगता (ओं) की श्रेणी (श्रेणियों) वाले उम्मीदवार परीक्षा हेतु आवेदन करेंगे जिनका उल्लेख परिशिष्ट-V में किया गया है। इसलिए, दिव्यांग श्रेणी वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हेतु आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ लें।

टिप्पणी - 3 : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी - 4 नियम 3 II (ख) (iv) तथा (v) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को आयु संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबटेंट अथवा नॉन-कंबटेंट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा वह अपने अनुरोध पर हुआ हो या पेंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा अवमुक्त किया गया हो।

टिप्पणी - 5 : उपर्युक्त नियम 3 II(ख) (vi) के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को आबंटित संबंधित सेवाओं/पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की, अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु-सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन, माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के बाद प्रस्तुत करने हैं।

आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदेशों के इस भाग में आए हुए "मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र" वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तिथि को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में (या बाद की

किसी अन्य परीक्षा में) परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्म तिथि इंगित करने में असावधानीवश/अनजाने में/टंकण संबंधी त्रुटि हो जाती है, तो उम्मीदवार परीक्षा के नियम 5 में निर्दिष्ट किए अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ बाद में सुधार के लिए आयोग से अनुरोध कर सकता है और आयोग द्वारा उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, यदि ऐसा अनुरोध दिनांक 14.07.2024 को आयोजित होने वाली सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 के दिन तक किया जाता है।

इस संदर्भ में किए जाने वाले समस्त पत्राचार में निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए:-

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. रजिस्ट्रेशन आई डी (RID)
3. अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा मोटे अक्षरों में)
5. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता
6. वैध एवं सक्रिय ई-मेल आईडी

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कालम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(III) शैक्षिक योग्यताएं :

उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार फाइनल एमबीबीएस परीक्षा के लिखित या प्रायोगिक भागों में उत्तीर्ण हो।

टिप्पणी-1 : वह उम्मीदवार भी आवेदन कर सकता है जिसने फाइनल एमबीबीएस परीक्षा दे दी है या जिनको अभी देनी है। यदि ऐसे उम्मीदवार अन्यथा पात्र हुए तो उन्हें उक्त परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा, परन्तु उनका प्रवेश अनंतिम रहेगा तथा फाइनल एमबीबीएस परीक्षा के लिखित तथा प्रायोगिक भागों को उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में रद्द कर दिया जाएगा। उक्त प्रमाण विस्तृत आवेदन प्रपत्र के, जो उक्त परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा आयोग को प्रस्तुत करने पड़ेंगे, के साथ प्रस्तुत करना होगा। अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का ऐसा प्रमाण सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 के विस्तृत आवेदन फार्म भरे जाने की भरे जाने की अंतिम तारीख तक का जारी होना चाहिए।

टिप्पणी-2 : उक्त परीक्षा में प्रवेश के लिए वह उम्मीदवार भी शैक्षिक रूप से पात्र हैं जिसे अभी अनिवार्य रोटेटिंग इंटरनिशप पूरी करनी है, किंतु चयन हो जाने पर उन्हें अनिवार्य रोटेटिंग इंटरनिशप पूरी करने के बाद ही नियुक्त किया जाएगा।

(IV) शारीरिक तथा चिकित्सा मानक:

सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 के उम्मीदवारों को परीक्षा की नियमावली के परिशिष्ट-III में दिए विनियमों के अनुसार शारीरिक/चिकित्सा मानकों के अनुरूप शारीरिक तथा चिकित्सा रूप से फिट होना चाहिए।

4. शुल्क :

(क) उम्मीदवारों को 200/- रुपए (केवल दो सौ रुपए) फीस के रूप में (सभी महिला/अ.जा./अ.ज.जा./ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

टिप्पणी - 1 : जो उम्मीदवार भुगतान के लिए नकद भुगतान प्रणाली का चयन करते हैं वे सिस्टम द्वारा सृजित (जनरेट) पे-इन-स्लिप को मुद्रित करें और अगले कार्य दिवस को ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा के काउंटर पर शुल्क जमा करवाएं। **“नकद भुगतान प्रणाली” का विकल्प अंतिम तिथि से एक दिन पहले अर्थात् 29.04.2024 को रात्रि 23.59 बजे निष्क्रिय हो जाएगा।** तथापि, जो उम्मीदवार अपने पे-इन स्लिप का सृजन (जनरेशन) इसके निष्क्रिय होने से पहले कर लेते हैं, वे अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में काउंटर पर नकद भुगतान कर सकते हैं। वे उम्मीदवार जो वैध पे-इन स्लिप होने के बावजूद किसी भी कारणवश अंतिम तिथि को बैंक के कार्य समय के दौरान एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ऑफलाइन विकल्प उपलब्ध नहीं होगा लेकिन वे अंतिम तिथि अर्थात् **30.04.2024 को सायं 6.00 बजे तक ऑनलाइन डेबिट/क्रेडिट कार्ड/ यूपीआई** अथवा इंटरनेट बैंकिंग भुगतान के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

टिप्पणी - 2 : उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि शुल्क का भुगतान ऊपर निर्धारित माध्यम से ही किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान न तो वैध है न स्वीकार्य है। अनिर्धारित माध्यम/शुल्क रहित आवेदन (शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त आवेदन को छोड़कर) सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

टिप्पणी - 3 : एक बार शुल्क अदा किए जाने पर वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न ही किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

टिप्पणी - 4 : जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए होंगे उन्हें अवास्तविक भुगतान मामला समझा जाएगा और उनके आवेदन पत्र तुरंत अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी। आवेदकों को अपने शुल्क भुगतान का प्रमाण ऐसी सूचना की तारीख से 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। दस्तावेज के रूप में प्रमाण प्राप्त होने पर, शुल्क भुगतान के वास्तविक मामलों पर विचार किया जाएगा और उनके आवेदन पत्र स्वीकार कर लिए जाएंगे, बशर्ते वे पात्र हों।

सभी महिला उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी से संबद्ध उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है। तथापि, अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट प्राप्त नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा।

बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को शुल्क के भुगतान से छूट है बशर्ते कि वे इन सेवाओं/पदों के लिए

मेडिकल आरोग्यता (बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को दी गई किसी अन्य विशेष छूट सहित) के मानकों के अनुसार इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु अन्यथा रूप से पात्र हों। शुल्क/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को अपने विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ अपने बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति होने के दावे के समर्थन में, सरकारी अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड से प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

टिप्पणी : शुल्क/आयु सीमा में छूट के उपर्युक्त प्रावधान के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु तभी पात्र माना जाएगा जब वह (सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित ऐसी किसी शारीरिक जांच के बाद) सरकार द्वारा बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को आबंटित की जाने वाली संबंधित सेवाओं/पदों के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

ध्यान दें : जिन आवेदन-प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

5. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवार - <http://upsconline.nic.in> वेबसाइट का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदक के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) प्लेटफॉर्म पर स्वयं का पंजीकरण पहले करना अनिवार्य है और उसके बाद परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ें। ओटीआर का पंजीकरण जीवन में केवल एक बार करना होगा। इसे वर्ष भर में किसी भी समय किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार का पंजीकरण पहले हो रखा है, तो वह परीक्षा के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है।

(i) ओटीआर विवरण में संशोधन:

यदि उम्मीदवार अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उसे ओटीआर प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के उपरांत ऐसा करने की अनुमति अपने जीवनकाल में केवल एक बार होगी। ओटीआर विवरण में डेटा परिवर्तन की सुविधा, आयोग की किसी भी परीक्षा के लिए उम्मीदवार के प्रथम अंतिम आवेदन की आवेदन विंडो बंद होने के बाद के अगले दिन से 7 दिनों तक उपलब्ध रहेगी। इस मामले में ओटीआर पंजीकरण के उपरान्त इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार प्रथम बार आवेदन करता है तो ओटीआर विवरण में संशोधन करने की अंतिम तारीख 07.05.2024 होगी।

(ii) आवेदन प्रपत्र में संशोधन (ओटीआर विवरण के अतिरिक्त):

आयोग ने इस परीक्षा की आवेदन विंडो के बंद होने के 7 दिनों के बाद, इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के किसी भी भाग(गों) में संशोधन(नों) करने की सुविधा देने का भी निर्णय लिया है। यह विंडो, इसके खुलने की तारीख से 7 दिनों के लिए अर्थात् 01.05.2024 से 07.05.2024 तक खुली रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि के दौरान अपने ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो वह ओटीआर प्लेटफॉर्म में लॉग-इन करके तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। अन्य शब्दों में, आवेदन प्रपत्र में संशोधन के लिए विंडो के माध्यम से ओटीआर विवरण में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

(iii) उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन आयोग को सीधे ऑनलाइन करना चाहिए।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं हैं, या जो सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं, उनको यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

टिप्पणी-I : उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र का नाम भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा उसके प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाए गए केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है, तो उस उम्मीदवार के पेपरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-II : अधूरे या गलत भरे आवेदन प्रपत्रों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों के प्रिंट की प्रति आयोग को, इस चरण पर भेजने की आवश्यकता नहीं है।

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आयोग ने जिस परीक्षा के लिए उन्हें प्रवेश दिया है उसके प्रत्येक स्तर, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षण स्तर पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा बशर्त कि वे निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों। यदि लिखित परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षण के पूर्व या बाद में सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि वे किसी पात्रता शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे उक्त लिखित परीक्षा का परिणाम, जिसके अगस्त/सितंबर, 2024 में घोषित किए जाने की संभावना है, घोषित होने के बाद आयोग को जल्दी प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां तैयार रखें:

1. आयु का प्रमाण-पत्र।
2. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र।
3. अ.जा., अ.ज.जा., ईडब्ल्यूएस तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो।
4. आयु/शुल्क में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो।
5. बेंचमार्क रूप से दिव्यांग श्रेणी से संबंधित होने के समर्थन में प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो।

परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद आयोग सफल उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित करेगा और उनसे ऑनलाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। उम्मीदवारों को साक्षात्कार पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किए जाएंगे। यदि उनके द्वारा किए गए दावे सही नहीं पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2024 की नियमावली के नियम 11, जो पुनः उद्धरित है, के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है :-

- (1) उम्मीदवार जिन्हें आयोग द्वारा निम्नलिखित के लिए दोषी ठहराया अथवा घोषित किया गया है : -
 - (क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात् :
 - (i) गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या
 - (ii) दबाव डालना, या
 - (iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
 - (ख) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा
 - (ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा
 - (घ) जाली दस्तावेज/गलत प्रमाण -पत्र या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा
 - (ङ) आवेदन फॉर्म में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो अपलोड करना।
 - (च) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
 - (छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात्:
 - (i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;
 - (ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;
 - (iii) परीक्षकों को प्रभावित करना; या
 - (ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा
 - (झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा
 - (ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा
 - (ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकी दी हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा
 - (ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा
 - (ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा
 - (ढ) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा, जैसा भी मामला हो, अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो,

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासिक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही उसे आयोग द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा जिसका वह उम्मीदवार है, में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए:

- (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जाएगा।
- (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जाएगा।

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

- (i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर लिया जाए।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरुद्ध उक्त खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

टिप्पणी: “यदि कोई उम्मीदवार के पास अनुचित साधन पाए जाते हैं या वह इसका प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो यह घटना परीक्षा से जुड़े पदाधिकारियों के संज्ञान में आते ही उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में आगे बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आयोग के परामर्श से उम्मीदवार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के बाद के पेपरों में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

6. आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तारीख:

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 30 अप्रैल, 2024 को सायं 6.00 बजे तक भरे जा सकते हैं, जिसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट-II में उपलब्ध है।

7. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

- (i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख के पूर्व सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट <https://upsc.gov.in/> पर उपलब्ध होगा, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार के पास उसके महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् आर.आई.डी. तथा जन्म तिथि अथवा अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हुआ हो) तथा जन्म तिथि अथवा नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि उपलब्ध होने चाहिए।

यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा की तारीख के पूर्व सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को दोपहर 1 बजे तक ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए।

इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है।

यदि किसी उम्मीदवार से ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने के तीन दिन पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यक्षीन होगा।

केवल इस तथ्य का कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या कि उम्मीदवार द्वारा अपने परीक्षा के आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार के लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उनकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है। आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिए जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।

उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार करने तथा उसकी पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि ई-प्रवेश पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

- (ii) उम्मीदवार को आयोग की वेबसाइट से एक से अधिक ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की स्थिति में परीक्षा देने के लिए, उनमें से केवल एक ही ई-प्रवेश पत्र का उपयोग करना चाहिए तथा अन्य की जानकारी आयोग को देनी चाहिए।
- (iii) सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत करें क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।
- (iv) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में यह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

महत्वपूर्ण : आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
2. रजिस्ट्रेशन आईडी (आरआईडी)
3. अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हो चुका हो)।
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में)।
5. आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पता।

6. वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी।

विशेष ध्यान दें: (i) जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए।

विशेष ध्यान दें: (ii) यदि किसी उम्मीदवार से कोई पत्र/संप्रेषण, परीक्षा हो जाने के बाद, प्राप्त होता है तथा उसमें उसका पूरा नाम, अनुक्रमांक नहीं है तो इस पर ध्यान न देते हुए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

विशेष ध्यान दें: (iii) उम्मीदवार को भविष्य के संदर्भों के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट या सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखने का परामर्श दिया जाता है।

8. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आरक्षण के लाभ लेने के लिए पात्रता वही होगी जो “दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016” में है। इस बात के होते हुए भी, एकाधिक विकलांगताओं वाले उम्मीदवार केवल श्रेणी (ई)- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) की श्रेणी के (ई) के तहत ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे तथा बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की इनमें से किसी भी श्रेणी में 40% और इससे अधिक दिव्यांगता होने के कारण किसी भी अन्य दिव्यांगता श्रेणी अर्थात् दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34(1) (अ) से (द) श्रेणी के तहत आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे।

बशर्ते, कि बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को शारीरिक अपेक्षाओं/कार्यात्मक वर्गीकरण (सक्षमताओं/अक्षमताओं) के संबंध में उन विशेष पात्रता मापदंड को पूरा करना भी अपेक्षित होगा जो इसके संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अभिज्ञात सेवा/पद के अपेक्षाओं की संगत हों। शारीरिक अपेक्षाओं तथा कार्यात्मक वर्गीकरण वाली सेवाओं की एक सूची परिशिष्ट - V पर है।

9. बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, आयोग उम्मीदवारों के प्राप्तानक (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंक) सार्वजनिक पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक रूप से घोषित करेगा। अंकों की यह घोषणा केवल उन उम्मीदवारों के मामले में की जाएगी, जो सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा हेतु साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में शामिल होंगे, परंतु जिन्हें नियुक्ति हेतु अंतिम रूप से अनुशंसित नहीं किया जाएगा। इस प्रकटन योजना के माध्यम से गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में साझा की गई जानकारी का इस्तेमाल, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों द्वारा, सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई उक्त सूचना के आधार पर, उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जा सकेगा।

उम्मीदवारों को, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के समय इस संबंध में अपना विकल्प प्रदान करना होगा। यह विकल्प उन्हें साक्षात्कार हेतु मेल किए गए ई-समन पत्र की पावती भेजते समय प्रदान करना होगा। उम्मीदवार, उक्त योजना में शामिल नहीं होने का विकल्प भी चुन सकते हैं। ऐसा करने पर आयोग द्वारा उनके अंकों संबंधी विवरण का प्रकटन सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाएगा।

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, इस विषय में आयोग की कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि आयोग की परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं में शामिल उम्मीदवारों से संबंधित जानकारियों का इस्तेमाल, अन्य निजी अथवा सार्वजनिक संगठनों द्वारा किस विधि से तथा किस रूप में किया जाता है।

10. उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के बाद अपने आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों को वैयक्तिक रूप से परीक्षा परिणाम किस प्रकार और किस रूप में सूचित

किया जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं अपने विवेक से करेगा और परीक्षा परिणाम के संबंध में आयोग उनके साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

12. इस नोटिस के उपबंधों के अधीन सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता के क्रम से तैयार की गई सूची और उनके द्वारा अपने आवेदन प्रपत्रों में विभिन्न पदों के लिए बताई गई वरीयता के आधार पर विचार किया जाएगा।

13. परीक्षा में सफल होने मात्र से नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आवश्यक पूछताछ के बाद सरकार इस बात से संतुष्ट न हो कि उम्मीदवार अपने चरित्र और पूर्ववृत्त के आधार पर उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए यह भी एक शर्त होगी कि उसके अनिवार्य रोटेटिंग इन्टर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी कर लेने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट हों।

14. उम्मीदवार को मन और शरीर से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें ऐसी कोई शारीरिक कमी नहीं होनी चाहिए जो उक्त सेवा के अधिकारी के रूप में कार्य करने में बाधक सिद्ध हो सके। जो उम्मीदवार सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसे भी मामला हो, द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा में इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता है, उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी।

15. कोई भी व्यक्ति :

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस संबंध में करार कर लेता है जिसका कोई पति या पत्नी जीवित है, या

(ख) पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से वैवाहिक संबंध बना लेता है या इस संबंध में कोई करार कर लेता है,

इस सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार का विवाह उस व्यक्ति और विवाह से संबद्ध दूसरे व्यक्ति पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के और भी आधार मौजूद हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

16. (क) परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम (ख) आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत, (ग) वस्तुपरक परीक्षाओं हेतु उम्मीदवारों को विशेष निर्देश, (घ) जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है, उसका संक्षिप्त विवरण, के विषय में जानकारी इस परीक्षा के नोटिस के क्रमशः परिशिष्ट - I, II, III व IV में दी गई है।

(विनोद कुमार)

अवर सचिव

संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I
परीक्षा की योजना

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी:-

भाग-I

लिखित परीक्षा - (500 अंक) :

आवेदकों के लिए लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम 250 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र दो घंटों की अवधि का होगा।

भाग-II

व्यक्तित्व परीक्षण: (100 अंक) :

जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनका 100 अंकों का व्यक्तित्व परीक्षण होगा।

(क) कंप्यूटर आधारित परीक्षा :

1. दोनों प्रश्न पत्रों के घटक और पाठ्यक्रम तथा दोनों प्रश्न पत्रों में विभिन्न घटकों का वेटेज निम्नानुसार है :

प्रश्न पत्र-I

अधिकतम अंक : 250

(कोड नं. 1)

सामान्य आयुर्विज्ञान एवं बालचिकित्सा

प्रश्न पत्र-I में कुल प्रश्न - 120 (96 सामान्य आयुर्विज्ञान तथा 24 बालचिकित्सा से)

प्रश्न पत्र - I का पाठ्यक्रम

(क) सामान्य आयुर्विज्ञान, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) हृदय रोग विज्ञान

(ii) श्वसन रोग

(iii) जठरांत्र

(iv) जनन - मूत्रीय

(v) तंत्रिका विज्ञान

(vi) रुधिर रोग विज्ञान

(vii) अंतः स्रावविज्ञान

(viii) उपापचयी विकार

(ix) संक्रमण/संचारी रोग

(क) वाइरस

(ख) रिकेट्स

(ग) बैक्टीरियल

(घ) स्पाइरोकेटल

(ङ) प्रोटोजोआ जनित

(च) मेटाजोआन जनित

(छ) फंगस

(x) पोषण/विकास

(xi) चर्म रोग (त्वचा रोग विज्ञान)

(xii) पेशी कंकाल तंत्र

(xiii) मनोरोग चिकित्सा

- (xiv) सामान्य
- (xv) आकस्मिक चिकित्सा (एमरजेंसी मेडिसिन)
- (xvi) सामान्य विषाक्तन (कॉमन पॉयजनिंग)
- (xvii) सर्पदंश
- (xviii) ट्रॉपिकल मेडिसिन
- (xix) क्रिटिकल केयर मेडिसिन
- (xx) चिकित्सकीय पद्धतियों पर बल (एंफेसिस ऑन मेडिकल प्रोसीजर्स)
- (xxi) रोगों का पैथो-फिजियोलोजिकल आधार
- (xxii) टीकों के जरिए रोके जा सकने वाले रोग(वैक्सीन प्रीवेंटेबल डिजीजेस) तथा टीकों के जरिए न रोके जा सकने वाले रोग(नॉन- वैक्सीन प्रीवेंटेबल डिजीजेस)
- (xxiii) विटामिन की कमी से होने वाले रोग
- (xxiv) मनोरोगविज्ञान, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- अवसाद(डिप्रेशन), मनोविकृति (साइकोसिस), दुश्चिंता (एंग्जाइटी), बाइपोलर रोग तथा मनोविदलता (स्किजोफ्रेनिया)

(ख) बालचिकित्सा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (i) शैशवकाल की सामान्य आकस्मिकताएं (कॉमन चाइल्डहुड एमरजेंसी),
- (ii) नवजात शिशुओं की बुनियादी देखभाल(बेसिक न्यूबॉर्न केयर),
- (iii) विकासक्रम के सामान्य चरण (नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स),
- (iv) बच्चों के मामले में दुर्घटनाएं और विषाक्तन (एक्सीडेंट एंड पॉयजनिंग इन चिल्ड्रन),
- (v) जन्मजात विकृतियां तथा काउंसलिंग, जिसमें ऑटिज्म शामिल है,
- (vi) बच्चों का टीकाकरण,
- (vii) विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और संबंधित प्रबंध व्यवस्था, तथा
- (viii) शिशु स्वास्थ्य से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम।

प्रश्न पत्र-II

अधिकतम अंक : 250

(कोड नं. 2)

क) शल्य चिकित्सा

(ख) प्रसूति-विज्ञान तथा स्त्रीरोग-विज्ञान

(ग) निवारक तथा सामाजिक आयुर्विज्ञान

प्रश्नपत्र-II में कुल प्रश्न = 120 (प्रत्येक भाग में से 40 प्रश्न)

प्रश्न पत्र-II का पाठ्यक्रम

(क) शल्य चिकित्सा

(शल्य चिकित्सा, जिसमें कान नाक गला, नेत्ररोग विज्ञान, अभिघात विज्ञान और अस्थिरोग विज्ञान शामिल हैं)

I. सामान्य शल्य चिकित्सा

- (i) घाव
- (ii) संक्रमण
- (iii) अर्बुद(ट्यूमर)
- (iv) लस वाहिका(लिंफैटिक)
- (v) रक्त वाहिका
- (vi) रसौली/शिरानाल

- (vii) सिर और गर्दन
 - (viii) वक्ष
 - (ix) पोषण नाल
 - (क) ग्रासनली
 - (ख) उदर
 - (ग) आंत
 - (घ) मलद्वार
 - (ङ) विकासात्मक
 - (x) यकृत, पित्त, अग्न्याशय
 - (xi) तिल्ली (स्प्लीन)
 - (xii) पर्युदर्या (पेरिटोनियम)
 - (xiii) उदरीयभित्ति (एब्डोमिनल वॉल)
 - (xiv) उदरीय घाव (एब्डोमिनल इंजरी)
- II मूत्ररोग शल्यचिकित्सा**
- III तंत्रिका शल्यचिकित्सा**
- IV कान-नाक-गला रोग विज्ञान**
- V वक्ष शल्य चिकित्सा**
- VI अस्थि रोग शल्य चिकित्सा**
- VII नेत्र रोग विज्ञान**
- VIII संवेदनाहरण विज्ञान**
- IX अभिघात विज्ञान (ट्रॉमैटोलॉजी)**
- X शल्य चिकित्सा संबंधी सामान्य रोगों का निदान और प्रबंधन (डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमन सर्जिकल एलमेंट्स)**
- XI शल्य चिकित्सा वाले रोगियों की ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद देखभाल**
- XII शल्य चिकित्सा से जुड़े मेडिकोलीगल और नैतिक मुद्दे (मेडिकोलीगल एंड एथिकल इशूज ऑफ सर्जरी)**
- XIII घाव भरना (वूंड हीलिंग)**
- XIV सर्जरी में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट प्रबंधन**
- XV सदमा रोगविज्ञान और प्रबंधन**
- (ख) प्रसूति-विज्ञान तथा स्त्रीरोग-विज्ञान**
- I. प्रसूति विज्ञान**
- (i) प्रसव-पूर्व अवस्थाएं
 - (ii) प्रसवकालीन अवस्थाएं
 - (iii) प्रसवोत्तर अवस्थाएं
 - (iv) सामान्य प्रसव या जटिल प्रसव का प्रबंधन
- II. स्त्री रोग विज्ञान**
- (i) अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान संबंधी प्रश्न
 - (ii) रजोधर्म तथा गर्भाधान के अनुप्रयुक्त शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी प्रश्न
 - (iii) जननांग पथ में संक्रमण संबंधी प्रश्न
 - (iv) जननांग पथ में सूजन संबंधी प्रश्न
 - (v) गर्भाशय विस्थापन संबंधी प्रश्न

- (vi) सामान्य प्रसव तथा सुरक्षित प्रसव प्रक्रिया
- (vii) जोखिमपूर्ण गर्भावस्था तथा उसका प्रबंधन
- (viii) गर्भपात
- (ix) अंतर्गर्भाशयी वृद्धि में बाधा
- (x) बलात्कार सहित प्रसूति एवं स्त्रीरोग में चिकित्सा विधिक जांच

III. परिवार नियोजन

- (i) परम्परागत गर्भ-निरोधक
- (ii) यू.डी. और खाने की गोलियां
- (iii) शल्यक्रियाकार्यविधि, बंध्याकरण और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रमों का आयोजन
- (iv) चिकित्सीय गर्भपात

(ग) निवारक सामाजिक तथा सामुदायिक आयुर्विज्ञान

- I सामाजिक तथा सामुदायिक आयुर्विज्ञान
- II स्वास्थ्य, रोग और निवारक आयुर्विज्ञानकी संकल्पना
- III स्वास्थ्य प्रबंधन तथा योजना
- IV सामान्य जानपदिक-रोगविज्ञान
- V जनांकिकी और स्वास्थ्य आंकड़े
- VI संचारी रोग
- VII पर्यावरणीय स्वास्थ्य
- VIII पोषण तथा स्वास्थ्य
- IX गैर-संचारी रोग
- X व्यावसायिक स्वास्थ्य
- XI आनुवंशिकी तथा स्वास्थ्य
- XII अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य
- XIII चिकित्सीय समाज-विज्ञान तथा स्वास्थ्य शिक्षा
- XIV मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य
- XV राष्ट्रीय कार्यक्रम
- XVI सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का प्रबंधन
- XVII राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी करने की क्षमता
- XVIII मातृ एवं शिशु कल्याण की जानकारी
- XIX कुपोषण तथा आकस्मिकताओं सहित सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने, अन्वेषण करने, रिपोर्ट करने, योजना बनाने और प्रबंधन करने की योग्यता

2. दोनों प्रश्न पत्रों में लिखित परीक्षा पूर्णतः वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय उत्तरों सहित) स्वरूप की होगी। प्रश्न पत्र (टेस्ट बुकलेट) केवल अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे।

3. परीक्षा के सामान्य निर्देश

3.1 उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर अनिवार्यतः स्वयं लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि नेत्रहीनता, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित - बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को स्क्राइब सुविधा के पात्र होंगे। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (द) के अंतर्गत यथापरिभाषित

बेंचमार्क विकलांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को परिशिष्ट-VI पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, ऐसे उम्मीदवार स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परिशिष्ट VII में दिए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, ऐसे उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

3.2 अपना स्क्राइब लाने या आयोग को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार को है। स्क्राइब का विवरण अर्थात् अपना या आयोग का और यदि उम्मीदवार अपना स्क्राइब लाना चाहते हैं, तो तत्संबंधी विवरण ऑनलाइन आवेदन करते समय परिशिष्ट-VII (जिन उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% या अधिक है) तथा परिशिष्ट IX (उम्मीदवारों की दिव्यांगता 40% से कम है और जिनकी लेखन क्षमता प्रभावित है) के प्रपत्र में मांगा जाएगा।

3.3 स्वयं के अथवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्क्राइब की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए।

3.4 नेत्रहीनता, चलने में असमर्थ (दोनों बाजुएं प्रभावित - बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्राप्त करने के पात्र होंगे। बेंचमार्क विकलांगता की अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को परिशिष्ट-VI पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त, विशिष्ट दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, को परिशिष्ट VIII में दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, ऐसे उम्मीदवारों को प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

3.5 पात्र उम्मीदवारों को, मांग किए जाने पर, स्क्राइब की सुविधा तथा/अथवा प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

नोट (1) :स्क्राइब की पात्रता शर्तें, परीक्षा हॉल के अंदर उसका आचरण तथा वह सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा के उत्तर लिखने में पात्र उम्मीदवारों (उपर्युक्त यथापरिभाषित) की किस प्रकार और किस सीमा तक सहायता कर सकता है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों द्वारा शासित होगा। उक्त सभी या किसी अनुदेश का उल्लंघन होने पर आवश्यक रूप से PwBD उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । इसके अलावा, संघ लोक सेवा आयोग स्क्राइब के खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई भी कर सकता है।

नोट (2) दृश्य अपंगता का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए मानदंड निम्नानुसार होंगे :—

स्वस्थ आँख सुधारों के बाद	खराब आँख सुधारों के बाद	अपंगता प्रतिशत	दिव्यांगता श्रेणी
6/6 से 6/18	6/6 से 6/18	0%	0
	6/24 से 6/60	10%	0
	6/60 से 3/60 से कम	20%	I
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	30%	II (एक आँख वाला व्यक्ति)
6/24 से 6/60 अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर 20 डिग्री तक दृश्य क्षेत्र 40 से कम या मैक्युला सहित होमिनायापिआ	6/24 से 6/60	40%	III क (अल्प दृष्टि)
	6/60 से 3/60 से कम	50%	III ख (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	60%	III ग (अल्प दृष्टि)
6/60 से 3/60 से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 20 से कम 10 डिग्री तक	6/60 से 3/60 से कम	70%	III घ (अल्प दृष्टि)
	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	80%	III ङ (अल्प दृष्टि)
3/60 से 1/60 तक से कम अथवा फिक्सेशन के सेंटर के चारों ओर दृश्य क्षेत्र 10 डिग्री से कम	3/60 से कम से कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	90%	IV क (दृष्टिहीनता)
		100%	IV ख (दृष्टिहीनता)
केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	केवल एचएमसीएफ केवल प्रकाश अवबोधन कोई प्रकाश अवबोधन नहीं	100%	IV ख (दृष्टिहीनता)

नोट (3) दृष्टिहीन उम्मीदवार को दी जाने वाली छूट निकट दृष्टिता से पीड़ित उम्मीदवारों को देय नहीं होगी ।

4. परीक्षा के किसी एक या दोनों प्रश्नपत्रों में अर्हक अंकों का निर्धारण करना आयोग का विवेकाधिकार है।

5. गलत उत्तरों के लिए दंड की व्यवस्था:

वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र में अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर दंडस्वरूप ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे।

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं यदि एक प्रश्न का उत्तर अभ्यर्थी द्वारा गलत दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से एक तिहाई अंक दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे।
- यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिया गया उत्तर ठीक ही क्यों न हो तथा उस प्रश्न के लिए भी दंड यथोपरि ही होगा।

(iii) यदि कोई प्रश्न खाली छोड़ दिया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी उसका कोई उत्तर नहीं देता है तो उस प्रश्न के लिए **दंड नहीं** दिया जाएगा।

6. वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों में उत्तर देने के लिए उम्मीदवारों को कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। अतः उनसे अपेक्षा है कि परीक्षा हॉल के अंदर कैलकुलेटर नहीं लाएं।

7. सीएमएसई के दोनों प्रश्न-पत्र एमबीबीएस स्तर के होंगे।

(ख) व्यक्तित्व परीक्षण-(100 अंक):

जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण 100 अंकों का होगा।

व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार को, उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान तथा उनके अपने शैक्षिक क्षेत्र में उनकी योग्यता को आंकने के लिए **लिखित** परीक्षा के पूरक के रूप में माना जाएगा। इसके साथ-साथ व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत उम्मीदवार की बौद्धिक जिज्ञासा, समग्र समझ की क्षमता, संतुलित निर्णय करने की योग्यता, मानसिक सजगता, सामाजिक एकजुटता की योग्यता, चारित्रिक सत्यनिष्ठा, पहल करने की भावना और नेतृत्व सामर्थ्य का भी आकलन किया जाएगा।

परिशिष्ट-II

ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुदेश

उम्मीदवार को वेबसाइट www.upsconline.nic.in का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- ऑनलाइन आवेदनों को भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- उम्मीदवारों को ड्रॉप डाउन मेन्यू के माध्यम से उपर्युक्त साइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार दो चरणों अर्थात् भाग-I और भाग-II में निहित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा।
- उम्मीदवारों को 200/- रु. (केवल दो सौ रुपए) के शुल्क (अजा/अजजा/महिला/ दिवयांगताओं से युक्त व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है) या तो भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर/रुपे क्रेडिट/डेबिट कार्ड/यूपीआई का उपयोग करके भुगतान करना अपेक्षित है।
- ऑनलाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर .जेपीजी प्रारूप में विधिवत रूप से इस प्रकार स्कैन करना है कि प्रत्येक 300 केबी से अधिक नहीं हो, लेकिन फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के लिए आकार में 20 केबी से कम न हो ।
- इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उम्मीदवार द्वारा अपना ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग भविष्य के सभी संदर्भ के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।
- ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को **दिनांक 10.04.2024 से 30.04.2024 तक सायं 6.00 बजे** तक भरा जा सकता है ।
- आवेदकों को एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भरने चाहिए, तथापि यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति वश कोई आवेदक एक से अधिक आवेदन पत्र भरता है तो वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आरआईडी

वाला आवेदन पत्र हर तरह से पूर्ण है।

- एक से अधिक आवेदन पत्रों के मामले में, आयोग द्वारा उच्च आरआईडी वाले आवेदन पत्र पर ही विचार किया जाएगा और एक आरआईडी के लिए अदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आरआईडी के लिए नहीं किया जाएगा।
- आवेदक अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय यह सुनिश्चित करें कि वे अपना वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल कर सकता है।
- आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अपने ई-मेल लगातार देखते रहें तथा यह सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर की ओर निर्देशित हैं तथा उनके एसपीएएम (SPAM) फोल्डर या अन्य किसी फोल्डर की ओर नहीं।
- उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें।

परिशिष्ट-III

वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा के दौरान किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा स्थल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी ।

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे बैग, पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी प्रकार के कैलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरणों, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टैंसिल, स्लाइड रूल, पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक आदि परीक्षा हाल में न लाएं।

जिस परिसर में परीक्षा आयोजित की जा रही है वहां इलेक्ट्रॉनिक या अन्य किस्म का कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्लाइड रूल, सेल्युलर/मोबाइल फोन/ब्लूटूथ अथवा ऐसे किसी अन्य उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी जिनका इस्तेमाल संचार उपकरण के रूप में किया जा सकता है। उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उम्मीदवार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमें भविष्य के परीक्षणों से प्रतिबंध शामिल है।

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर/ब्लूटूथ सहित कोई भी प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा परिसर में नहीं लाएं क्योंकि परीक्षा स्थल पर इनकी सुरक्षा के लिए परीक्षा परिसर में कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में कोई भी कीमती/मूल्यवान वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए परीक्षा परिसर में कोई प्रबंध नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा।

- (i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा।

- (ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा।
- (iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा।

4. अनुचित तरीकों की सखती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

5. परीक्षा भवन में आचरण

- कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा।
- उम्मीदवार किसी भी कारण से अन्य उम्मीदवारों से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। ऐसी बातचीत को परीक्षण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
- परीक्षण स्थल पर यदि किसी उम्मीदवार के पास अनधिकृत सामग्री पाई जाती है तो उसे परीक्षण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार परीक्षण नियमों का उल्लंघन करता है तो यह माना जाएगा कि उसने अनुचित माध्यम का प्रयोग किया है। यदि कोई उम्मीदवार अनुचित माध्यम अपनाता है तो उसे इस परीक्षण तथा संघ लोक सेवा आयोग की भावी परीक्षाओं से विवर्जित कर दिया जाएगा और/या उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- परीक्षण पूरा होने के उपरांत उम्मीदवार अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे और तब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक परीक्षण समय पूरी तरह से बीत नहीं जाता है।
- किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के लिए आबंटित समय पूरा होने से पहले परीक्षा स्थल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
- किसी भी उम्मीदवार को परीक्षण के अंतिम 30 मिनट के दौरान शौचालय जाने की अनुमति नहीं होगी।
- उम्मीदवार सभी अनुदेशों तथा परीक्षण के पर्यवेक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए जाने वाले अन्य ऐसे अनुदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं करता है अथवा अव्यवस्था उत्पन्न करता है अथवा अनुचित आचरण करता है तब उसे परीक्षण से निष्कासित किया जा सकता है तथा/अथवा आयोग अपने विवेकानुसार कोई अन्य उपयुक्त दंड दे सकता है।

परिशिष्ट- IV

सेवाओं के संक्षिप्त विवरण

इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनके संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं।

1. रेलवे में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी

- (क) भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के अंतर्गत सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी (एडीएमओ) का पद समूह "क" के कनिष्ठ वेतनमान में वेतन मेट्रिक्स के स्तर - 10 (56,100-1,77,500/- रु) में है और इस पद पर समय-समय पर लागू नियमों/आदेशों के अनुसार गैर-प्रेक्टिस भत्ता (एनपीए) देय होता है। निजी प्रैक्टिस प्रतिबंधित है। उम्मीदवार, रेल मंत्रालय अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा, निजी प्रैक्टिस को सीमित अथवा प्रतिबंधित करने के संबंध में जारी सभी आदेशों को मानने के लिए बाध्य होगा।
- (ख) उम्मीदवार को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा जिसे सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर उम्मीदवार भारतीय रेल चिकित्सा सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में पुष्टि हेतु पात्र हो जाएंगे।
- (ग) परिवीक्षा की अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय रेल स्थापना कोड, खंड- 1 के नियम 301(3) की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की ओर से एक महीने का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। किंतु इस प्रकार के नोटिस की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उपबंधों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई के कारण सेवा से बर्खास्त-गी या सेवा से हटाए जाने या मानसिक अथवा शारीरिक अशक्तता के कारण की जाने वाली अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में नहीं होगी।
- (घ) उम्मीदवार को रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और सभी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ेगा।
- (ङ) उम्मीदवार 1-1-2004 से लागू सरकार के आदेशानुसार अंशदायी पेंशन पद्धति द्वारा नियंत्रित होगा।
- (च) उम्मीदवार उन्हीं के स्तर के अन्य अधिकारियों पर समय-समय पर लागू छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे।
- (छ) उम्मीदवार समय-समय पर प्रवर्तित नियमों के अनुसार सारणी नि:शुल्क रेलवे पास और विशेष टिकट आदेशों का अधिकारी होगा।
- (ज) उम्मीदवारों को परिवीक्षा की अवधि के दौरान अनुमोदित स्तर की हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और यदि वह परीक्षा पास नहीं करता है तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- (झ) नियमानुसार, उपयुक्त पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपेक्षित होने पर किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए काम करना पड़ सकता है जिसमें कि प्रशिक्षण पर, व्यतीत अवधि शामिल है परन्तु उस व्यक्ति को:-
- (क) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।
- (ख) सामान्यतः 45 वर्ष की आयु हो जाने के बाद पूर्वोक्त रूप में कार्य नहीं करना होगा।
- (ञ) जो बातें ऊपर विनिर्दिष्ट- रूप से कही गई हैं, उनमें और अन्य मामलों में उम्मीदवार भारतीय रेल स्थापना संहिता और समय-समय पर संशोधित/परिवर्तित नियमों के अधीन कार्य करेगा।

- (ट) शुरुआत में उम्मीदवार प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इसे पूरा कर लेने के उपरांत उसे विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे स्वास्थ्य इकाइयों/औषधालयों में भी तैनात किया जा सकता है। एडीएमओ को किसी अन्य रेलवे में भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
- (ठ) उच्चतर ग्रेडों से संबद्ध वेतनमान तथा भत्तों सहित पदोन्नति की संभावनाएं रेलवे चिकित्सा सेवा भर्ती नियमावली, 2000 तथा रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
- (ड) 'कर्तव्य और दायित्व।

सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी :

- (1) वह प्रतिदिन और आवश्यक होने पर भीतरी वार्डों और बाहरी चिकित्सा विभाग का काम देखेगा।
- (2) वह लागू विनियमों के अनुसार उम्मीदवार और सेवारत कर्मचारियों की शारीरिक परीक्षा करेगा।
- (3) वह अपने अधिकार क्षेत्र में परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता का काम देखेगा।
- (4) वह सामान विक्रेताओं की जांच करेगा।
- (5) वह अस्पताल के हेल्थ यूनिट कर्मचारियों में अनुशासन और कर्तव्य पालन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6) वह अपनी विशेषज्ञता से संबद्ध कार्य, यदि कोई हो, करेगा और अपनी विशेषज्ञता से संबंधित विवरणियां और मांग-पत्र तैयार करेगा।
- (7) वह सभी उपस्करों का रख-रखाव और देखभाल अपने प्रभार में रखेगा।

टिप्पणी 1 : जब सहा.प्र.चि.अ. किसी प्रभाग के मुख्यालय में सीएमएस/अतिरिक्त सीएमएस/एमएस इंचार्ज के प्रभार के अधीन नियुक्त किया जाता है तो वह सीएमएस/अतिरिक्त सीएमएस/एमएस इंचार्ज के सभी कर्तव्यों में उसे सहायता देगा किंतु विशेष रूप से उसको कुछ कार्य और दायित्व भी सौंपे जा सकते हैं।

टिप्पणी 2: सहा. प्र.चि.अ. को समय-समय पर सौंपे गए अन्य कर्तव्य भी निभाने होंगे।

II. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी सामान्य ड्यूटी में ग्रेड चिकित्सा अधिकारी पद अस्थायी हैं किंतु अनिश्चितकाल तक चल सकते हैं। उम्मीदवारों को कनिष्ठ ग्रुप 'क' वेतनमान में नियुक्त किया जाएगा और नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक वे परिवीक्षा के अधीन रहेंगे। वह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक से घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परिवीक्षा की अवधि की संतोषजनक समाप्ति के बाद उनको स्थायी बनाया जायेगा।

- (ख) उम्मीदवारों को, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल होने वाले देशभर के किसी भी संगठन के अंतर्गत किसी भी औषधालय अथवा अस्पताल में भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। हर प्रकार की निजी सेवा (प्रेक्टिस), जिसमें प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता के रूप में की जाने वाली सेवा भी शामिल है, पर प्रतिबंध है।
- (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के चिकित्सा अधिकारी को वेतन मेट्रिक्स के स्तर-10 (56,100 से 1,77,500/-रु.) का वेतनमान तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार एनपीए देय होगा और पदोन्नति के अवसर, उन्हें, सीएचएस नियमावली, 2014 के तहत किए गए प्रावधानों, और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों तथा अनुदेशों के अनुसार प्राप्त होंगे।

III. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी

- (क) वेतन मेट्रिक्स का स्तर-10 (56,100-1,77,500/-रु.)+ सीमित गैर-प्रेक्टिस भत्ता (एनपीए)।
- (ख) समय-समय पर परिषद में लागू किए गए पेंशन, उपदान, स्थायीकरण आदि से संबंधित साधारण नियम लागू होंगे।
- (ग) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर बढ़ाया जा सकेगा। परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने पर वे स्थायी रिक्ति के पुष्टि होने तक अस्थायी हैसियत से कार्य करते रहेंगे।
- (घ) उम्मीदवार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के क्षेत्राधिकार के अधीन किसी भी अस्पताल/औषधालय/एम. एवं सी. तथा परिवार कल्याण केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आदि में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
- (ङ) किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस जो कुछ भी हो, प्रतिबंधित है।
- (च) परिवीक्षा अवधि तथा उसके बाद की अवधि के दौरान जब आप अस्थाई हैसियत से कार्यरत हों दोनों में से किसी पक्ष की एक महीने की सूचना नोटिस पर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद सूचना (नोटिस) के बदले में एक महीने के वेतन का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- (छ) जीडीएमओ, वेतन मेट्रिक्स स्तर-11 (67700-208700/-रु.) के अंतर्गत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद से वेतन मेट्रिक्स स्तर-12 (78800- 209200/-रु.) के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से वेतन मेट्रिक्स स्तर-13 (118500-214100/-रु.) के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड) के पद पर तथा वेतन मेट्रिक्स स्तर-14 (144200-218200/-रु.) के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे।

IV) दिल्ली नगर निगम में सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड II:-

- (1) वेतन, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन मेट्रिक्स के स्तर-10 में प्रथम सेल का न्यूनतम 56,100 रु. (संशोधन-पूर्व पीबी-3, 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन 5400/- रु के समतुल्य) तथा एनपीए और नियमानुसार देय अन्य भत्ते।
- (2) उम्मीदवार नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा। यह अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परिवीक्षाधीन अवधि के संतोषजनक समापन पर वह तब तक अस्थायी पर रहेगा जब तक स्थायी रिक्ति पर स्थायी नहीं किया जाता है।
- (3) उम्मीदवार की नियुक्ति दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी किसी अस्पताल/डिस्पेंसरी/, मातृ और शिशु कल्याण तथा परिवार कल्याण केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि में / की जा सकती है।
- (4) किसी भी प्रकार निजी प्रैक्टिस करना मना है।
- (5) परिवीक्षा तथा उसके बाद अस्थायी हैसियत से नियोजन अवधि के दौरान किसी भी तरफ से एक महीने का नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। दिल्ली नगर निगम को नोटिस के बदले एक महीने का वेतन देने का अधिकार है। उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की संभावनाएं जिनमें वेतनमान तथा भत्ते सम्मिलित हैं, भर्ती विनियमों के उपबंधों के अनुसार होंगे।

परिशिष्ट V

कार्यात्मक वर्गीकरण और शारीरिक अपेक्षाओं के साथ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए चिह्नित उपयुक्त सेवाओं की सूची

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रेणी (यों) जिसके लिए निर्धारित की गई	कार्यात्मक वर्गीकरण	शारीरिक अपेक्षाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भारतीय रेल चिकित्सा सेवा (आई आर एम एस) में सहायक प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी (ए डी एम ओ)	लोकोमोटर दिव्यांगता	(i)ओए-एक हाथ प्रभावित, (ii)ओएल-एक पैर प्रभावित, और (iii)बीएल-दोनों पैर प्रभावित परंतु हाथ नहीं।	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच एस=सिटिंग, एसटी=स्टैंडिंग, बीएन=बेंडिंग, डब्ल्यू=वॉकिंग, एसई=सीईग, एमएफ=मैनुपुलेशन बाई फिंगर्स, सी=कम्यूनिकेशन, आरडब्ल्यू=रीडिंग एण्ड राईटिंग, एच=हियरिंग.
2.	केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-संवर्ग में सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड	(1) ओए, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी (2) एसएलडी (3) खंड (1) से (2) के अंतर्गत बहु दिव्यांगता	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी एस=सीटिंग, एसटी=स्टैंडिंग, डब्ल्यू=वॉकिंग बीएन=बेंडिंग, एमएफ=मैनुपुलेशन विद फिंगर्स, आरडब्ल्यू=रीडिंग एण्ड राईटिंग, एसई=सीईग, एच=हियरिंग सी=कम्यूनिकेशन उम्मीदवार पर उपादानों और उपकरणों के साथ विचार किया जाना चाहिए, सहायक हाथ की गतिविधियां पर्याप्त होनी चाहिए।	
3.	एमसीडी में जनरल इयूटी चिकित्सा अधिकारी ग्रेड II	(i) ओए, ओएल, बीएल-, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी ii) एसएलडी iii) एमडी खंड (1) से (2) सहित	शून्य	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एमएफ, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी
4.	एनडीएमसी में सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी	लोकोमोटर दिव्यांगता	(i) ओए - एक हाथ प्रभावित (ii) ओएल - एक पैर प्रभावित	एस, एसटी, बीएन, डब्ल्यू, एसई, एमएफ, सी, आरडब्ल्यू, एच एस - सीटिंग, एसटी, -स्टैंडिंग, बीएन- बेंडिंग, डब्ल्यू - वॉकिंग, एसई - सीईग, एमएफ - मैनुपुलेशन बाई फिंगर्स, सी - कम्यूनिकेशन आरडब्ल्यू - रीडिंग एण्ड राईटिंग, एच - हियरिंग.

परिशिष्ट-VI

परीक्षार्थी में लिखने की शारीरिक अक्षमता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार का नाम) सुपुत्र श्री/ सुपुत्री श्री निवासी (गांव/ज़िला/राज्य) जो (दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशतता) से ग्रस्त है, का परीक्षण किया है तथा मैं यह कथन करता हूँ कि वह शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त है जो उसकी शारीरिक सीमाओं के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती हैं

हस्ताक्षर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान

नोट : प्रमाण-पत्र सम्बंधित रोग/दिव्यांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए । (उदाहरण के लिये नेत्रहीनता-नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर दिव्यांगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमए)

परिशिष्ट-VII

अपने स्क्राइब की सुविधा लेने हेतु वचनबंध (उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन भरकर आयोग को भेजा जाए)

मैं (नाम) (दिव्यांगता का नाम) दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवार हूँ तथा अनुक्रमांक के तहत (राज्य का नाम) ज़िले के (परीक्षा केंद्र का नाम) केंद्र पर (परीक्षा का नाम) की परीक्षा में बैठ रहा हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता है ।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि उपर्युक्त परीक्षा देने के लिये श्री (स्क्राइब का नाम) अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब/रीडर/लैब असिस्टेंट की सेवा प्रदान अरेंगे ।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि उसकी शैक्षिक योग्यता है । यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी शैक्षिक योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित किये अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक पाई जाती है तो मैं इस पद और तत्सम्बंधी दावों पर अधिकार से वंचित कर दिया जाऊंगा ।

(दिव्यांगता वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/सुश्री/श्रीमती(उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री, निवासी (ग्राम/पोस्ट ऑफिस/पुलिस थाना/जिला/राज्य), आयु वर्ष की जांच की है जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त व्यक्ति हैं, और यह उल्लेख किया जाता है कि इनकी उक्त स्थिति इनके लिए बाधक है जो इनकी लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उक्त उम्मीदवार स्क्राइब की सहायता के साथ उपादानों एवं सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम का उल्लेख करें) का उपयोग करता है, जो उम्मीदवार के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य हैं।

3. यह प्रमाण-पत्र, केवल भर्ती एजेंसियों और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में शामिल होने के प्रयोजन हेतु जारी किया जाता है तथा यह दिनांक तक मान्य है (यह अधिकतम छह माह या इससे कम अवधि, जैसा भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए, के लिए मान्य है।)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोविज्ञानी (क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट)/ पुनर्वास मनोविज्ञानी (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट)/विशेष शिक्षक (स्पेशल एड्युकैटर)	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध है)	ऑक्यूपेशनल थिरेपिस्ट (यदि उपलब्ध है)	अन्य विशेषज्ञ, अध्यक्ष द्वारा यथा नामित (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र का नाम

स्थान:

दिनांक:

विशिष्ट दिव्यांगता वाले उन व्यक्तियों जो आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम,2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत शामिल हैं, परंतु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत शामिल नहीं हैं अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्तियों तथा जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है, द्वारा दिया जाने वाला परिवचन पत्र।

मैं, (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रसित एक उम्मीदवार हूं, जो (परीक्षा का नाम) में अनुक्रमांक, (परीक्षा केन्द्र का नाम) जिला, (राज्य का नाम) में शामिल हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त परीक्षा को लिखने के लिए अधोहस्ताक्षरी की ओर से (स्क्राइब का नाम) स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं परिवचन देता हूं कि इनकी योग्यता है, यदि बाद में यह पता चलता है कि इनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी की घोषणा के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से अधिक है तो मैं इस पद के लिए अपने अधिकार या प्रमाण-पत्र/डिप्लोमा/डिग्री तथा अपने दावे का प्रयोग नहीं करूंगा।

(उम्मीदवार का हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक: